# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ।

## प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत जिला एवं प्रखंड स्तर पर पी.एम.यू गठन हेतु विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु

## ।। आवश्यक सूचना ।।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार अधिसूचना ज्ञापांक 1016/ग्रा0वि0–10–पी.एस.ए.वाई–जी–54/2016 राँची, दिनांक 01.03.2007 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के अधीन केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु **''जिला समन्वयक, प्रशिक्षण समन्वयक, लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (जिला स्तर), प्रखंड समन्वयक एवं लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (प्रखंड स्तर)''** के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदनों के जाँचोपरांत स्वीकृत एवं अस्वीकृत अभ्यर्थियों का पुनः प्रकाशन अभिकरण कार्यालय, गोड्डा के **सूचना पट्ट** एवं एन0आई0सी0, गोड्डा के वेवसाईट ***www.godda.nic.in*** पर प्रकाशित किया गया है ।

प्रकाशित सूची में दिए गये विवरणी में अभ्यर्थियों को यदि कोई दावा/आपत्ति हो तो वे अपनी दावा/आपत्ति दिनांक 04.08.2017 के अपराह्न 05:00 बजे तक अभिकरण कार्यालय, गोड्डा में आवेदन देकर एवं ई–मेल के माध्यम से ***pmayg.pmugodda@gmail.com*** में आवेदन देकर कर सकते हैं । निर्धारित समय–सीमा के उपरान्त दावा/आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में कोई विचार नहीं किया जायेगा । दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिये गये दस्तावेज के अतिरिक्त समर्पित अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी को दावा/आपत्ति आवेदन के साथ भरे गये ऑनलाईन फॉर्म एवं संबंधित आपत्ति की विवरणी देना अनिवार्य है ।

दावा/आपत्ति निराकरण के पश्चात् दक्षता परीक्षा एवं कम्प्यूटर ज्ञान हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची तथा दक्षता परीक्षा (दिनांक 06.08.2017) संबंधी आवश्यक सूचना अभिकरण कार्यालय, गोड्डा के **सूचना पट्ट** एवं एन0आई0सी0, गोड्डा के वेबसाईट ***www.godda.nic.in*** पर दिनांक 05.08.2017 को प्रकाशित किया जायेगा । साथ ही सूचित किया जाता है कि अनिवार्य योग्यता के 50 एवं वांछित अनुभव के 20 अंक कुल 70 अंक हेतु दावा/आपत्ति मानी गयी है ।

दक्षता परीक्षा में विषय ज्ञान पर 10 एवं कम्प्यूटर ज्ञान पर 20 अंक ( हिन्दी टंकण में 10 अंक एवं अग्रेजी टंकण में 10 अंक (गति–25 अक्षर प्रति मिनट ) का होगा । कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत होगा ।

चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक अनु0जाति/अनु0ज0जाति के उम्मीदवारों को न्यूतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा । इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे ।

उप विकास आयुक्त
गोड्डा ।